भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1355

(जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है)

बैंक एनपीए का प्रभाव

1355. श्री सुखबीर सिंह बादलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को एनपीए/अशोध्य ऋण अथवा बैंकों द्वारा प्रतिरोधी कार्रवाई किए जाने के फलस्वरूप काफी संख्या में यूनिटों के बंद होने के कारण देश में फैले हुए व्यापक बेरोजगारी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): वैश्विक परिचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक के आकड़े के अनुसार, दिनांक 31.03.2018 से दिनांक 31.03.2019 की अवधि के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 9.89% तक घट गई है ।

एनपीए के रूप में खराब प्रदर्शन करने वाली व्यापार इकाइयों में अंतर्ग्रस्त पूंजी ऋण के प्रवाह को कम कर देती है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 जैसे तंत्र के तहत एनपीए सहित अतिदेय ऋणों का समाधान नए निवेश और व्यापार मजबूती के लिए नए प्रोमटरों के प्रवेश के माध्यम से व्यापार इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए अवसर भी उपलब्ध कराता है। इस संबंध में यह संगत है कि इस संहिता के अंतर्गत, समाधान प्रक्रिया में चालू व्यापार इकाई के पुनरुद्धार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा, एनपीए अथवा अन्य दबावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई अर्थव्यवस्था में उत्पादक उपयोग के लिए नए ऋण के रूप में मुद्रा के पुन:उपयोग को सक्षम बनाता है जो नए रोजगार अवसरों का सृजन करता है।

*****